आर.ई.ओ 62

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाउस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर 342 003 फोन नं. [illegible] 2641313 (का.), फैक्स नं. 2741070

क्रमांक– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अधी. [illegible]/[illegible] /प्रेषण 1204 जोधपुर, दिनांक 17/10/2003

आदेश

राज्य मे अकाल व सूखे को ध्यान मे रखते हुये आदेश संख्या 413 दिनांक 9.5.2002 (आर.ई.ओ- 14) व आदेश संख्या 1474 दिनांक 24.10.2002 (आर.ई.ओ.--36) द्वारा कृषकों का स्वेच्छा से अस्थायी सम्बन्ध विच्छेद का प्रावधान किया गया था तथा न्यूनतम शुल्क,फ्लेट रेट चार्ज व बकाया पर ब्याज आदि की छूट भी दी गई थी। प्रावधानो के अनुसार 15 सितम्बर तक कनेक्शन जुडवाने की समय सीमा प्रसारित की गई थी। समय--समय पर फील्ड अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह देखने मे आया है कि काफी संख्या मे कृषको ने दिनांक 24.10.2002 को प्रसारित आदेशो से पूर्व ही स्वेच्छा से कनेक्शन कटवा लिये थे तथा वे कृषक 24.10.2002 (आर.ई.ओ.--36) मे दी गई सुविधाओ से वंचित रह गये है। प्रायः ऐसा भी देखने मे आया है कि जिन कृषको ने स्वेच्छा से कनेक्शन कटवाये है वे अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बकाया पर ब्याज एवं आर.सी.फीस देने मे असमर्थ है एवं उक्त कारणों से ऐसे कृषको द्वारा बिना कनेक्शन जुडवाये ही विद्युत के दुरुपयोग की संभावना बढती है, जिससे निगम को भी भारी आर्थिक हानि उठानी पडेगी। उक्त स्थिति मे समस्या के संतोषजनक समाधान के लिए निम्नलिखित सुविधाये दी जा रही है :-

1. आर.ई.ओ.–36 के प्रावधान एवं दी गई सुविधा उन कृषकों पर भी लागू हो जिन्होंने स्वेच्छा से कुआँ सूखने पर 1.4.2002 के बाद निगम मे प्रार्थना पत्र देकर कनेक्शन कटवाये है ।

2. ऐसे कृषको को 31.12.2003 तक कनेक्शन जुडवाने के लिए री--कनेक्शन फीस में छूट दी जायेगी परन्तु 15 सितम्बर 2003 के उपरान्त कनेक्शन जुडवाने की तिथी तक ब्याज में छूट नही दी जायेगी।

3. 31 दिसम्बर 2003 के बाद कनेक्शन जुडवाने वाले कृषको से री--कनेक्शन फीस लेने के अतिरिक्त निम्न प्रकार ब्याज की वसूली की जायेगी।
    - (अ) आर.ई.ओ.–36 के अन्तर्गत कनेक्शन कटवाने वालो से 15 सितम्बर 2003 के बाद ब्याज की वसूली की जायेगी।
    - (ब) अन्य कृषको से कनेक्शन कटने की तिथी से कनेक्शन जुडवाने की तिथी तक पूर्ण ब्याज की वसूली की जायेगी।

4. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्वेच्छा से नहीं कटे है एवं बकाया वसूली के कारण काट दिये गये है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर